

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 26/2020

निर्णय दिनांक -16.06.2020

1. श्री कारूलाल उर्फ कालुराम पिता देवीलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. मु0 बदाम बाई पत्नि देवीलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. श्री केशुराम पिता मॉंगीलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
-प्रार्थीगण

//बनाम//

1. श्री रामसिंह पिता वसराज जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री श्रीराम पिता गोकुल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. श्री शंकरलाल पिता मॉंगीलाल जी जाति ब्राहामणउम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेडा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 10 की आराजी नं0 638/113 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी नं0 639/123 रकबा 0.2600 हैक्टेयर आराजी नं0 640/125 रकबा 0.0600 हैक्टेयर आराजी नं0 641/128 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेडा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 10 की आराजी नं0 638/113 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी नं0 639/123 रकबा 0.2600 हैक्टेयर आराजी नं0 640/125 रकबा 0.0600 हैक्टेयर आराजी नं0 641/128 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 16.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with Cam

